न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
190 / 2024	06.02.2024	21.02.2024

पीठासीन अधिकारी—विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1— दयाराम आत्मज रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादी)

बनाम

1— रामप्रसाद आत्मज धन्नालाल जी जाति बैरवा
2— नन्दकिशोर आत्मज रामप्रसाद जाति बैरवा
3— सीमाबाई पुत्री रामप्रसाद जाति बैरवा
निवासीगण ग्राम कराड़िया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
4— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से — श्री ओम प्रकाश सोनी एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से — श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 53,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी व विभाजन

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1— यह कि वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कराडिया तहसील दीगोद में खाता सं0 188 पर खसरा नम्बर 193 / 573 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 199 की 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 239 की 0.47 हेक्टर, खसरा नम्बर 734 / 221 की 0.32 हेक्टर , खसरा नम्बर 797 / 220 की 0.80 हेक्टर , कुल 5 किता की 1.84 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 संलग्न है।

2— यह कि वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कराडिया तहसील दीगोद में खाता सं0 192 पर खसरा नम्बर 669 / 221 की 0.48 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 संलग्न है।

3— यह कि कि उपरोक्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 के खाते की भूमि है। उक्त भूमि वादी की पैत्रिक भूमि है। प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जीवन काल में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए उपरोक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 2 को 1/3— 1/3 हिस्से से दे दी व प्रतिवादी नं0 1 ने अपने पास अन्य खाते की भूमि रख ली । इस प्रकार वादी व प्रतिवादी नं0 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि ही वादी व प्रतिवादी नं0 2 की आजीविका का एक मात्र साधन है।

4— यह कि प्रतिवादी नं0 3 ने अपना हिस्सा अपने भाईयों के हक में मौखिक रूप से छोड़ रखा है यानी हकत्याग कर रखा है तथा वे अपने पिता की भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं चाहती है।

5— यह कि इस प्रकार वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को 1/3— 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना व विभाजन किया जाना आवश्यक हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

6— यह कि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज चली आ रही है इस कारण गांव के व्यक्ति प्रतिवादी नं0 1 को उक्त भूमि बेचान कराने पर दबाव डाल रहे है जब कि उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 2 को दे दिये जाने के बाद प्रतिवादी नं0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही है कि वह उक्त भूमि से वादी व प्रतिवादी नं0 2 को बेदखल करे व भूमि से वंचित करें। इस कारण वादी ने प्रतिवादी नं0 1 को उपरोक्त भूमिया का वादी व प्रतिवादी नं0 2 को खातेदार घोषित कराने तथा उक्त भूमि को रहन, बेचान, अन्तरण व खुर्द बुर्द नही करने को दिनांक 21.01.2024 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने भूमि देने से इन्कार कर दिया ओर शीघ्र ही उक्त भूमियों को खुर्द बुर्द व रहन बेचान व अन्तरण करने की धमकी दी।

7— यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 2 को उक्त भूमि का खातेदार घोषित नही किया गया व वादी व प्रतिवादी नं0 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर विभाजन नही किया गया ओर प्रतिवादी नं0 1 द्वारा गलत रूप से उक्त भूमि को बेचान कर दिया गया तो वादी को अपार क्षति होगी। वादी अपने अधिकारों व साम्पतिक अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी व दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा।

8— यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

9— यह कि दी स्टेट ऑफ राजस्थान भूमि की लेण्ड हॉल्डर होने से प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी नं0 3 प्रतिवादी नं0 1 की पुत्री होने से व आवश्यक पक्षकार होने से उनको प्रतिवादी पक्षकार बना कर यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की सादर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमायी जावे कि:—

1— कि वाके ग्राम कराडिया तहसील दीगोद में खाता सं0 188 पर, खसरा नम्बर 193/573 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 199 की 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 239 की 0.47 हेक्टर, खसरा नम्बर 734/221 की 0.32 हेक्टर , खसरा नम्बर 797/220 की 0.80 हेक्टर , कुल 5 किता की 1.84 हेक्टर भूमि एवं ग्राम कराडिया तहसील दीगोद में खाता सं0 192 पर खसरा नम्बर 669/221 की 0.48 हेक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को 1/3— 1/3 हिस्से का खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जावे।

2— कि अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम कराडिया खाता सं0 192 सम्वत 2076—2079

2— नकल जमाबन्दी ग्राम कराडिया खाता सं0 188 सम्वत 2076—2079

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर न्यायालय में लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से आपसी सहमति से एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली की आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं

तिवादीगण की पहिचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। वादी–प्रतिवादीगण की पहिचान हेतु आई डी की जांच की गयी। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी।

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तों की बहस सुनी गयी। वादी–प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस वादी–प्रतिवादी अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया।

वादी–प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत कियाः–

यह कि उपरोक्त उनवान का एक वाद सम्मानीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

राजीनामा

वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 निम्न आधारों पर यह राजीनामा माननीय न्यायालय मे पेश करते है किः–

1– यह कि वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कराडिया तहसील दीगोद में खाता सं0 188 पर खसरा नम्बर 193/573 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 199 की 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 239 की 0.47 हेक्टर, खसरा नम्बर 734/221 की 0.32 हेक्टर , खसरा नम्बर 797/220 की 0.80 हेक्टर , कुल 5 किता की 1.84 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।

2– यह कि वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कराडिया तहसील दीगोद में खाता सं0 192 पर खसरा नम्बर 669/221 की 0.48 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।

3– यह कि उपरोक्त मुकदमें में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है जिसके तहत प्रतिवादी नं0 3 अपने पास कोई भूमि नहीं रखना चाहती है। ओर वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को निम्न प्रकार से भूमि का विभाजन कर लिया हैः–

1– वादी दयाराम के हिस्से में आयी भूमिः–
ग्राम कराडिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 669/221 की 0.48 हेक्टर भूमि एवं खसरा नम्बर 734/221 की 0.32 हेक्टर भूमि कुल 2 किता की 0.80 हेक्टर

2– प्रतिवादी नं0 2 नन्दकिशोर के हिस्से में आयी भूमिः–
ग्राम कराडिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 797/220 की 0.80 हेक्टर भूमि

3– प्रतिवादी नं0 1 रामप्रसाद के हिस्से में आयी भूमिः–
ग्राम कराडिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 193/573 की 0.04 हे0, खसरा नम्बर 199 की 0.21 हेक्टर , व खसरा नम्बर 239 की 0.47 हेक्टर कुल 3 किता की 0.72 हेक्टर

5– यह कि उक्त आराजी का राजीनामा आपसी सहमति से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने अपनी स्वेच्छा से किया है जिसमें दोनों पक्ष सहमत है।

अतःराजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वाद पत्र को आपसी सहमति से प्राप्त हिस्सा अनुसार डिक्री फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा पर उपभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

उभय पक्ष की ओर से आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा प्रस्तुत किया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं उभय पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम कराडिया की भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है।

राजीनामा

1– वादी दयाराम के हिस्से में आयी भूमिः–
ग्राम कराडिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 669/221 की 0.48 हेक्टर भूमि एवं खसरा नम्बर 734/221 की 0.32 हेक्टर भूमि कुल 2 किता की 0.80 हेक्टर

2– प्रतिवादी नं0 2 नन्दकिशोर के हिस्से में आयी भूमिः–
ग्राम कराडिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 797/220 की 0.80 हेक्टर भूमि

3– प्रतिवादी नं0 1 रामप्रसाद के हिस्से में आयी भूमिः–
ग्राम कराडिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 193/573 की 0.04 हे0, खसरा नम्बर 199 की 0.21 हेक्टर , व खसरा नम्बर 239 की 0.47 हेक्टर कुल 3 किता की 0.72 हेक्टर

प्रतिवादी नं0 3 अपने पास कोई भूमि नहीं रखना चाहती है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि राजीनामा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)